कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/15-16/ 3079 दिनांक :- 26/2/16

निमितः-

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहाबाद।

विषय :- आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत करवरी खुर्द से बामनदेह तक सड़क निर्माण हेतु (4.20 हैक्टेयर) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

संदर्भ :- भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति कमांक 8बी/राज/06/16/2015/एफ.सी./1416 दिनांक 11.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत करवरी खुर्द से बामनदेह तक सड़क निर्माण हेतु (4.20 हैक्टेयर) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति संदर्भित पत्रांक से जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त शर्तो की बिन्दुवार पालना कर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करे तथा शर्त संख्या 2, 3 एवं अन्य की पालना में निम्नानुसार राशि रू. **3242085/-** का डी.डी. कोटा शाखा पर देय उप वन संरक्षक, बारां के नाम जारी कर प्रेषित करे।

1. **शर्त संख्या 2 के कम में** :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 4.20 Ha. x 145925 रू. प्रति हेक्टर की दर से राशि रू. 612885/- जमा करावें।
2. **शर्त संख्या 3 के कम में** :- शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की राशि 4.20 Ha. x 626000/- प्रति हेक्टर की दर से राशि रू. **2629200/-** जमा करावें।
3. **शर्त संख्या 12 के कम में** :- मक डिस्पोजल योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे ~~ताकि आवश्यक धन राशि की मांग की जा सके~~।

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां

ROAD LETTER 2015-16